आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील सं0 708/2025 अनवान करनाराम बनाम राज0 सरकार वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.09.25	वकील अपीलांट उपस्थित। उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत अपर जिला कलेक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 42/2017 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। वकील अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा इस मामले में वर्तमान अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष पूर्व प्रस्तुत राजस्व अपील सं0 22/2020 व उसमें पारित आदेश दिनांक 20.08.2024 का अवलोकन किया गया एवं अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन के संबंध मे चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि पूर्व अपील में न्यायालय हाजा के निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड प्रकरण–राजस्व अपील सं0 42/2017 में पारित आदेश दिनांक 16.7.25 द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार कर, वर्तमान तहसीलदार धोरीमन्ना को माफिक बंटवाडा दिनांक 08.01.2002 अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत कर रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष पुनः प्रस्तुत हस्तगत अपील में बंटवाडा दिनांक 08.01.2002 को तथाकथित एवं स्वतः प्रभावहीन होना बताते हुए, पक्षकारों के कब्जे अनुसार आपसी	

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

708/2025

सहमति से बंटवाडा करने का आदेश फरमाने का अनुतोष चाहते हुए, स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का आग्रह किया गया। जबकि न्यायालय हाजा के समक्ष पूर्व प्रस्तुत अपील में अपीलांट को बंटवाडा दिनांक 08.01.2002 स्वीकारोक्त था। ऐसी स्थिति में उक्त अपील औचित्यहीन प्रतीत होने से, इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपीलांट आपसी सहमति से बंटवाडा दिनांक 08.01.2002 को सक्षम न्यायालय में चुन्नौति देने हेतु स्वतंत्र है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार की जावे। निर्णय आज दिनांक खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर